

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा—माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग—2/उप—प्राचार्य(रि0)/2022—23/24(छायां पद) ई—01369 दिनांक 25.12.2024 (RAJ KAJ REF. NO. 12646075) द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम—2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानान्तर्गत उप—प्राचार्य पदों के छायां पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 24.12.2024 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार 111 कार्मिकों का प्राध्यापक—स्कूल शिक्षा पद से उप—प्राचार्य (अनुसूची—1, समूह:क—प्रशासनिक विंग) पद पर पे—मैट्रिक्स लेवल—14 में डीपीसी वर्ष 2022—23 के लिए वरिष्ठता सह—योग्यता के आधार पर चयनित किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 25.12.2024 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारी अपने पृथक से आदेश जारी होने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग की ई—मेल आई.डी. VP.POSTING@GMAIL.COM पर प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

संबंधित कार्मिक को दिनांक 07.01.2025 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में स्वतः पदोन्नति परित्याग मान लिया जाकर पदोन्नति परित्याग संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7643/2022 श्री अजय कुमार रोहिला बनाम सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं उक्त प्रकरण में पारित आदेशों की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(सीता राम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Sr.No.:SHIVIRA-MAADHYA/SANSTHA/B1-B2/45001/VICE PRINCIPAL(REVIEW)DPC/POSTING/2022-23/2024

(SHADOW POST)/-33086-6763572

Date: As Signed

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।



4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माशि व प्राशि/डाइट्स/अतिरिक्त जिला परियोजना निदेशक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक), कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ/डीपीसी/वरिष्ठता/विभागीय जांच/संस्थापन-सी, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान
  - चयनित कार्मिक से पदोन्नति परित्याग को प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 07.01.2025 तक इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. VP.POSTING@GMAIL.COM पर प्रेषित करावें।
  - लम्बे समय से अनुपस्थित/निलंबित कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. VP.POSTING@GMAIL.COM पर प्रेषित करावें।
  - जिन कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उनके संबंध में कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
  - माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंधित नियंत्रण/मण्डल अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि वे पदोन्नत पर कार्यग्रहण करवाते समय लोक सेवक से "संतान संबंधी घोषणा पत्र" प्राप्त करें एवं ऐसे लोक सेवक जिनकी 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या दो से अधिक है एवं उनकी पदोन्नति पूर्व में इससे प्रभावित नहीं हुई है, के "संतान संबंधी घोषणा पत्र" संबंधित मण्डल कार्यालय के माध्यम से समेकित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
11. संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर